E-content
M. A. Geography
Semester III
CC- 12

भारत में जनजातियां

आदिवासी शब्द दो शब्दों 'आदि' और 'वासी' से मिल कर बना है और इसका अर्थ **मूल निवासी** होता है। भारत की जनसंख्या का 8.6% (10 करोड़) जितना एक बड़ा हिस्सा आदिवासियों का है। पुरातन लेखों में आदिवासियों को *अत्विका* और *वनवासी* भी कहा गया है (संस्कृत ग्रंथों में)। महात्मा गांधी ने आदिवासियों को *गिरिजन*(पहाड़ पर रहने वाले लोग) कह कर पुकारा है। भारतीय संविधान में आदिवासियों के लिए 'अनुसूचित जनजाति' पद का उपयोग किया गया है। भारत के प्रमुख आदिवासी समुदायों में गोंड, मुंडा, खड़िया, हो, बोडो, भील, खासी, सहरिया, संथाल, मीणा, उरांव, परधान, बिरहोर, पारधी, आंध, टाकणकार आदि हैं।

परिभाषा

'अनुसूचित जनजातियाँ' पद सबसे पहले भारत के संविधान में प्रकट हुआ। अनुच्छेद 366 (25) ने अनुसूचित जनजातियों को "ऐसी आदिवासी जाति या आदिवासी समुदाय या इन आदिवासी जातियों और आदिवासी समुदायों का भाग या उनके समूह के रूप में, जिन्हें इस संविधान के उद्देश्यों के लिए अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियाँ माना गया है"

भारत में आदिवासियों को प्रायः 'जनजातीय लोग' के रूप में जाना जाता है। आदिवासी मुख्य रूप से भारतीय राज्यों उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक है जबकि भारतीय पूर्वोत्तर राज्यों में यह बहुसंख्यक हैं, जैसे मिजोरम। भारत सरकार ने इन्हें भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची में " अनुसूचित जनजातियों " के रूप में मान्यता दी है। अक्सर इन्हें अनुसूचित जातियों के साथ एक ही श्रेणी " अनुसूचित जाति एवं जनजाति " में रखा जाता है।
बहुत से छोटे आदिवासी समूह आधुनिकीकरण के कारण हो रहे पारिस्थितिकी पतन के प्रति काफी संवेदनशील हैं। व्यवसायिक वानिकी और गहन कृषि दोनों ही उन जंगलों के लिए विनाशकारी साबित हुए हैं जो कई शताब्दियों से आदिवासियों के जीवन यापन का स्रोत रहे हैं।
आदिवासी भाषाएँ

भारत में सभी आदिवासी समुदायों की अपनी विशिष्ट भाषाएं है। भाषाविज्ञानियों ने भारत के सभी आदिवासी SUBSCRIBE TO SENIOR GAMER CHANNEL भाषाओं को मुख्यतः तीन भाषा परिवारों में रखा है- द्रविड़, आस्ट्रिक और चीनी-तिब्बती। लेकिन कुछ आदिवासी भाषाएं भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत भी आती हैं। आदिवासी भाषाओं में 'भीली' बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है जबकि दूसरे स्थान पर 'गोंडी'भाषा और तीसरे स्थान पर 'संताली' भाषा है। भारतीय राज्यों में एकमात्र झारखण्ड में ही 5 आदिवासी भाषाओं - संताली, मुण्डारी, हो, कुड़ुख और खड़िया - को 2011 में द्वितीय राज्यभाषा का दर्जा प्रदान किया गया।

भारत की 114 मुख्य भाषाओं में से 22 को ही संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इनमें हाल में शामिल की गयी संताली और बोड़ो ही मात्र आदिवासी भाषाएं हैं। अनुसूची में शामिल संताली (0.62), सिंधी, नेपाली, बोड़ो (सभी 0.25), मिताइ (0.15), डोगरी और संस्कृत भाषाएं एक प्रतिशत से भी कम लोगों द्वारा बोली जाती हैं। जबकि भीली (0.67), गोंडी (0.25), टुलु (0.19) और कुड़ुख 0.17 प्रतिशत लोगों द्वारा व्यवहार में लाए जाने के बाद भी आठवीं अनुसूची में दर्ज नहीं की गयी हैं। (जनगणना 2001)

आदिवासियों के धार्मिक विश्वास

आदिवासियों का अपना धर्म भी है। ये प्रकृति-पूजक हैं और वन, पर्वत, नदियों एवं सूर्य की आराधना करते हैं। आधुनिक काल में जबरन बाह्य संपर्क में आने के फलस्वरूप इन्होंने हिन्दू, ईसाई एवं इस्लाम धर्म को भी अपनाया है। अंग्रेजी राज के दौरान बड़ी संख्या में ये ईसाई बने तो आजादी के बाद इनके हिंदूकरण का प्रयास तेजी से हुआ है। परन्तु आज ये स्वयं की धार्मिक पहचान के लिए संगठित हो रहे हैं और भारत सरकार से जनगणना में अपने लिए अलग से धार्मिक कोड (कोया पुनेम) की मांग कर रहे हैं।

भारत में 1871 से लेकर 1941 तक हुई जनगणनाओं में आदिवासियों को अन्य धर्मों से अलग धर्म में गिना गया है, जिसे *एबओरिजिन्स*, *एबोरिजिनल*, *एनिमिस्ट*, *ट्राइबल रिलिजन* या *ट्राइब्स* इत्यादि नामों से वर्णित किया गया है। हालांकि 1951 की जनगणना के बाद से आदिवासियों को अलग से गिनना बन्द कर दिया गया है।

भारत में आदिवासियों को दो वर्गों में अधिसूचित किया गया है- अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित आदिम जनजाति।

भारत की प्रमुख जनजातियाँ

चंदा समिति ने सन् 1960 में अनुसूचति जातियों के अंर्तगत किसी भी जाति को शामिल करने के लिये 5 मानक निर्धारित किया:

- 1. भौगोलिक एकाकीपन
- 2. विशिष्ट संस्कृति
- 3. पिछड़ापन
- 4. संकुचित स्वभाव
- 5. आदिम जाति के लक्षण

भारत में 461 जनजातियां हैं, जिसमें से 424 जनजातियों भारत के सात क्षेत्रों में बंटी हुई हैं i

आदिवासी देश की कुल आबादी का 8.14% हैं,और देश के क्षेत्रफल के करीब 15% भाग पर निवास करते हैं। यह वास्तविकता है कि आदिवासी लोगों पर विशेष ध्यान की जरूरत है, जिसे उनके निम्न सामाजिक, आर्थिक और भागीदारी संकेतकों में किया जा सकता है। चाहे वह मातृ और बाल मृत्यु दर हो, या कृषि सम्पदा या पेय जल और बिजली तक पहुंच हो, आदिवासी समुदाय आम आबादी से बहुत पिछड़े हुए हैं। आदिवासी आबादी का 52% गरीबी की रेखा के नीचे है और चौंका देने वाली बात यह है कि 54% आदिवासियों की आर्थिक सम्पदा जैसे संचार और परिवहन तक कोई पहुंच ही नहीं है।

भारत का संविधान अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित नहीं करता है, इसलिए अनुच्छेद 366(25) अनुसूचित जनजातियों का संदर्भ उन समुदायों के रूप में करता है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार, अनुसूचित जनजातियाँ वे आदिवासी या आदिवासी समुदाय या इन आदिवासियों और आदिवासी समुदायों का भाग या उनके समूह हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा एक सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है। अनुसूचित जनजातियाँ देश भर में, मुख्यतया वनों और पहाड़ी इलाकों में फैली हुई हैं।

इन समुदायों की मुख्य विशेषताएं हैं:

- आदिम लक्षण
- भौगोलिक अलगाव
- विशिष्ट संस्कृति
- बाहरी समुदाय के साथ संपर्क करने में संकोच
- आर्थिक रूप से पिछडापन

पिछली जनगणना के आंकड़े दर्शाते हैं कि अनुसूचित जनजाति आबादियों का 42.02% मुख्य रूप से कामगार थे जिनमें से 54.50 प्रतिशत किसान और 32.69 प्रतिशत कृषि श्रमिक थे। इस तरह, इन समुदायों में से करीब 87% कामगार प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों में लगे थे। अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर लगभग 29.60 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय औसत 52 प्रतिशत है। अनुसूचित जनजातियों की तीन-चौथाई से अधिक महिलाऐं अशिक्षित हैं। ये

असमानताएं औपचारिक शिक्षा में पढ़ाई छोड़ देने की उच्च दरों से और बढ़ जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप उच्च शिक्षा में असंगत रूप से कम प्रतिनिधित्व है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इसका कुल प्रभाव यह है कि गरीबी की रेखा से नीचे की अनुसूचित जनजातियों का अनुपात राष्ट्रीय औसत से काफी ऊपर है। वर्ष 1993-94 के लिए योजना आयोग द्वारा किया गया गरीबी का अनुमान दर्शाता है कि 51.92 प्रतिशत ग्रामीण और 41.4 प्रतिशत शहरी अनुसूचित जनजातियाँ अभी भी गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हैं।

भारत की जनजातियों का क्षेत्रीय वितरण

जनजाति (Tribe) वह सामाजिक समुदाय है जो राज्य के विकास के पूर्व अस्तित्व में था लेकिन आज ये मुख्यधारा से अलग हैं। जनजाति वास्तव में भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक वैधानिक शब्द है जिसके लिए भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान दिए गए हैं। अब अहम् सवाल यह है की कौन सी मानव समुदाय के लोगो को अनुसूचित जनजाति के सूची में डाला जाता है। 1960 में, चंदा समिति ने अनुसूचित जनजाति में किसी भी जाति या समुदाय को शामिल करने के लिए पांच मानदंडों को निर्धारित किया। इन मानकों में भौगोलिक अलगाव, विशेष संस्कृति, जनजातियों की विशेषताओं, पिछड़ेपन और शर्मीलापन शामिल हैं। भारत में 461 जनजाति हैं जिनमें से 424 अनुसूचित जनजातियों को संवैधानिक और वैधानिक रूप से मान्यता-प्राप्त है।

भारत को जनसंख्या के वितरण और विविधता के आधार पर सात ज़ोन (क्षेत्र) में विभाजित किया गया है जिसकी नीचे व्याख्या की गयी है:

1. उत्तर ज़ोन (क्षेत्र)

जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, उप-हिमालय, उत्तर प्रदेश और बिहार इस जोन के अंतर्गत आते हैं। लाहौल, लेपचा, भूटिया, थारू, बक्सा, जौनसारी, खामपा, भोकसा, गुज्जर और कनौता इस क्षेत्र में रहने वाले जनजाति हैं। वे सभी जनजाति मोंगोलोइड नस्ल से सम्बन्ध रखते हैं।

2. उत्तर-पूर्वी ज़ोन (क्षेत्र)

असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम इस जोन के अंतर्गत आते हैं। वे सभी जनजाति मोंगोलोइड नस्ल से सम्बन्ध रखते हैं। प्रमुख आदिवासी समूह हैं:

मिजोरमः लुसाई, कुकी, गारो, खासी, जयंती और मिकिर

नागालैंड: नागा, कुकी, मिकिर और गारो

मेघालय: गारो, खासी और जयंतिया

सिक्किम: लेपचा, भूटिया, लिम्बु, और तमांग

त्रिपुरा: चाकमा, गारो, खासी, कुकी, लुसाई, लिआंग, और संथाल

अरुणाचल प्रदेश: दफला, खमपटी, और सिंगोफ़ो

आसम: बोरो, कछारी, मिकिर (कार्बी), लालुंग, और हाजोंग

मणिपुर: मीटीस, पंगल, नागा जनजातियां और कूकी

इन जनजातियों की उच्च साक्षरता दर है।

3. केंद्रीय ज़ोन (क्षेत्र)

छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी आंध्र प्रदेश की जनजाति इस जोन के अंतर्गत आते हैं।

4. दक्षिणी ज़ोन (क्षेत्र)

मध्य और दक्षिणी पश्चिमी घाटियां, जो 20 डिग्री अक्षांश के दक्षिण में विस्तारित हैं इस जोन के अंतर्गत आते हैं। जैसे- पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिमी तमिलनाडु और केरल। तोदा, कोटा और बगदा निलगिरी क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं। कुरुम्बा, कादर, पैनियन, चेन्चु, अलेर, नायक और चेट्टी इस क्षेत्र की अन्य प्रमुख जनजातियाँ हैं।

5. पूर्वी ज़ोन (क्षेत्र)

झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार इस जोन के अंतर्गत आते हैं। ओडिशा की जनजातियां जुआंग, खरिया, खोंड और भूमिज ओड़िसा के जनजाति जनजातियां हैं। मुंडा, ओरन, संथाल हो और बिरहोर झारखंड की जनजातियां हैं। वे ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के हैं और कोल और मुंडा भाषाएं बोलते हैं।

6. पश्चिमी ज़ोन (क्षेत्र)

छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी आंध्र प्रदेश की जनजातियां इस जोन के अंतर्गत आते हैं। भिल्ल, गरासिया, मीना, बंजारा, संसि और सहारिया राजस्थान के प्रमुख जनजातियां हैं। महादेकोली, बाली और दबाला गुजरात के प्रमुख जनजातियां हैं। जयंती मध्यप्रदेश का के प्रमुख जनजाति हैं। में हैं।

7. द्वीप क्षेत्र

अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप समूह की जनजातियां इस जोन के अंतर्गत आते हैं। शॉम्पेन, ओन्गे, जर्वा और सेंनालिली अंडमान एवं निकोबार की प्रमुख जनजातियां हैं , जो धीरे-धीरे विलुप्त हो रहे हैं। वे नेग्रिटू नस्लीय समूह से संबंधित हैं।

मानव समुदाय अपने विशेषताओं के आधार पर पहचाने जाते हैं। जैसे की बाल का रंग, सिर संरचना, नाक की बनावट तथा आंखों का आकार और रंग। भारत में मानव समुदाय अत्यधिक मिश्रित हैं।